## न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा— 46(1) बी के तहत अनुमति वाद संख्या —आर० एम० 112/2022—23

करमी देवी......विक्रेता

बनाम

आदेश की तारीख		आदेश	
1			
04.02.2023	विक्रेता का नाम एवं पता—	2 करमी देवी पिता / पति—स्व० जगन्नाथ महतो निवास ग्राम—ताऊ बालाडींग पो०—बुण्डू, थाना—बुण्डू जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी (महतो) पेशा—गृहिणी।	3
	क्रेता का नाम एवं पता:—	सुरेन्द्र नाथ महतो, पिता—स्व० भरत महतो निवास ग्राम—मगनडीह, पो०—जामुदाग थाना—सोनाहातु जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी (महतो) पेशा—खेती। वर्त्तमान पता—काॅलेज रोड ताऊ पो०—बुण्डू थाना—बुण्डू, जिला—राँची (झारखण्ड)	
	विद्वान अधिवक्ता का नाम:-	श्री परमेश्वर महतो।	

विकेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22/11/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 (1) बी के तहत क्रेता सुरेन्द्र नाथ महतो, पिता—स्व० भरत महतो निवास ग्राम—मगनडीह, पो०—जामुदाग थाना—सोनाहातु जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी (महतो), पेशा—खेती वर्त्तमान पता—कॉलेज रोड ताऊ पो०—बुण्डू थाना—बुण्डू जिला—राँची (झारखण्ड) के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमित माँगी है:—

## बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–ताऊ थाना–बुण्डू, थाना सं०–27 जिला–राँची,

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहदी
सं०	सं०		
149	236 237 238	11.5 डीसमील मध्ये 2.5 डीसमील 13 डीसमील मध्ये 2.5 डीसमील 02 डीसमील	उ०—नीज विक्रेता, द०—सुधा देवी,करम चंद लोहरा पू०—रास्ता प०—प्रवीण गोंझु, रंजीत गोंझु

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी बुण्डू का पत्रांक—32 (11) दिनांक 20/01/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:—

- 1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत झपर लोहार कौम-लोहार के नाम से दर्ज है।
- 2. पंजी-।। के अनुसार रैयत का नाम मनु महतो के नाम से दर्ज है ।
- 3. आवेदक पंजी-।। रैयत का पुत्रवधू है।
- 4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 1995—1996 तक वसूली की गई है।



04.02.2023

- 5. खरीदगी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
- 6. प्रस्तावित भूमि बिक्री / दान में आवेदक / आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
- 7. प्रस्तावित भूमि बिक्री / दान में आवेदक / आवेदिका का पूर्ण अंश है।
- 8. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा—2.15 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
- 9. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलू कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- 10. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था / सरकारी / समिति के पास नहीं की जा रही है।
- 11. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है।
- 12. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
- 13. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
- 14. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
- 15. आवेदित जमीन भूमि घोटाला / वन भूमि / मसना / सरना / हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
- 16. भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 (1) बी के तहत विक्रेता करमी देवी पिता / पित—स्व० जगन्नाथ महतो निवास ग्राम—ताऊ बालाडींग पो०—बुण्डू, थाना—बुण्डू, जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी (महतो) पेशा—गृहिणी ने क्रेता / विपक्षी सुरेन्द्र नाथ महतो, पिता—स्व० भरत महतो निवास ग्राम—मगनडीह, पो०—जामुदाग थाना—सोनाहातु जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी (महतो) पेशा—खेती वर्त्तमान पता—कॉलेज रोड ताऊ पो०—बुण्डू थाना—बुण्डू, जिला—राँची (झारखण्ड) के हाथों बिक्री करने की अनुमित देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 22/11/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता करमी देवी पिता/पित—स्व० जगन्नाथ महतो निवास ग्राम—ताऊ बालाडींग पो०—बुण्डू थाना—बुण्डू जिला—राँची (झारखण्ड) जाित—कुरमी (महतो), पेशा—गृहिणी को क्रेता/विपक्षी सुरेन्द्र नाथ महतो, पिता—स्व० भरत महतो निवास ग्राम—मगनडीह, पो०—जामुदाग थाना—सोनाहातु जिला—राँची (झारखण्ड) जाित—कुरमी (महतो) पेशा—खेती वर्त्तमान पता—कॉलेज रोड ताऊ पो०—बुण्डू थाना—बुण्डू जिला—राँची (झारखण्ड) के हाथों बिक्री करने की अनुमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 (।) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

बिक्री हेतु अनुमित भूमि विवरणी मौजा—ताऊ थाना—बृण्डू, थाना संo—27 जिला—राँची

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहदी
सं०	सं०	Control of the Contro	STATES SELECTION OF
149	236	11.5 डीसमील मध्ये 2.5 डीसमील	उ०-नीज विक्रेता,
	237	13 डीसमील मध्ये 2.5 डीसमील	द०-सुधा देवी,करम चंद लोहरा
	238	02 डीसमील	पू०-रास्ता
			प०-प्रवीण गोंझु, रंजीत गोंझु

लेखापित एवं सशोंधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता बुण्डू,। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बुण्डू।